न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 66 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मूलचन्द आयु 59 वर्ष पुत्र श्री सामराज जाति जाट निवासी ग्राम बागडौरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नेमीदेवी पत्नी नौरंगराम।
2 सुलोचना पुत्री नौरंगराम।
3 बालूराम पुत्र खींवाराम।
4 केशर पुत्र खींवाराम।
5 दुगाराम पुत्र खींवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बागडौदा तहसील फतेहपुरा जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर दिनांक 11.05.2015 बाबत मुकदमा उनवानी नेमीदेवी बनाम मूलचन्द मु0नं0 141 / 2012 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) आर.टी.एक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत नियुक्त करने रीसिवर पीठासीन अधिकारी आर.ए.एस. अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

उपस्थित

1. श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भवानी सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री गौरी शंकर सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–31.01.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 141/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) आर.टी. एक्ट का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 5.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 207 रकबा 1.44 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.74 हैक्टेयर वाके ग्राम बागडौदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्से का खाता अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट व उसके भाई नौरंगराम पुत्र मामराज के नाम से है एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 रेस्पोडेंट संख्या 03 लगायत 5 के नाम है। नौरंगराम प्रार्थीगण संख्या 1 रेस्पोडेंट संख्या 01 का पति तथा प्रार्थी संख्या 2 रेस्पोडेंट संख्या 02 का पिता है जो पिछले 21 वर्ष से लापता है आज तक घर नही लोटा है तथा व जिन्दा है या उसकी मृत्यु हो गई इसकी जानकारी प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

02 को नहीं है उक्त कृषि भूमिया में उक्त नौरंगलाल का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीगण उक्त नौरंगलाल के वारिस है उक्त भूमि का आज तक बंटवारा नहीं हुआ है प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के द्वारा एक दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र वाद संख्या 109/2011 प्रार्थना पत्र संख्या 89/2011 उनवानी नेमीदेवी आदि बनाम नौरंगलाल आदि माननीय अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि खसरा नम्बर 306,207 में प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरन लाठी के जोर पर बेदखल करने को आमाद है। प्रार्थीगण को काश्त नही करने देते व जांटियां नहीं काटने देने की धमकियां दे रहे है। अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने का आमादा है इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उक्त कृषि भूमि पर रिसीवर कायम करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने अप्राथीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से तहसीलदार फतेहपुर को पक्षकारों को विवादित भूमि में हिस्से अनुसार काश्त करने के लिए पाबन्द करने के निर्देश दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट रिकार्डेड खातेदार नही है रेस्पोडेंट के पिता व पति नौरंगलाल की सिविल डेथ बाबत घोषणा समक्ष न्यायालय से नही करवाई गई है। विचारण न्यायालय ने आवेदन रिसिवर कायम करने हेतु प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय को रिसिवर कायम करने अथवा नही करने पर निर्णय पारित करना था विचारण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो पूर्णतया विधि विरूद्व है अत अपील स्वीकार कर निर्णय अपास्त किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में रेस्पोडेंट के पिता व पति नौरंगलाल खातेदार है उनके हिस्से तक की भूमि पर काश्त करने का उन्हे अधिकार है विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में रिसिवर नियुक्त करने अथवा नही करने बाबत कोई विवेचन एवं निर्णय नही कर आवेदन से बाहर जाकर निर्णय पारित कर दिया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को धारा 212(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष को पुन सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.03.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

31.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर